

## प्रारूप-झ (संतग्रक-9)

### अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/163720/DER/DEORIA/1502/CFO

दिनांक: 30-06-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SPRING SHINE ACADEMY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **13, SIDHUWA, RAMPUR KARKHANA, DEORIA, DEORIA** तहसील - **DEORIA SADAR** जिसमें

| ब्लॉक/टावर | तलों की संख्या | बेसमेंट की संख्या | ऊँचाई    |
|------------|----------------|-------------------|----------|
| A          | 2              | 0                 | 7.30 mt. |

तथा प्लॉट एरिया **10100.69 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SPRING SHINE ACADEMY** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **03-07-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VAKIL SINGH** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **04-07-2025** से **03-07-2028** तक **3 वर्षों** के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

**Note : AS PER RECOMMENDATION REPORT OF FSSO DEORIA निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत है:-**

- 1-अर्ह अभिकर्ता/अग्निशमन अभियन्ता से 01 वर्ष में न्यूनतम 02-बार फायर ऑडिट तथा विद्युत् ऑडिट कराकर प्रमाण-पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।
- 2-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था/उपकरणों में किसी प्रकार का छेड़-छाड़/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 3-भवन में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
- 4-नियत प्राधिकारी द्वारा भवन के स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार समस्त प्रावधान रखना वांछनीय होगा।
- 5-अतिरिक्त भवन निर्माण/ अधिभोग हेतु विभागीय स्वीकृति ली जाये।
- 6-प्रवेश/निकास मार्ग सदैव अवरोधमुक्त रखा जायेगा तथा किसी भी दशा में लॉक नहीं किया जायेगा।
- 7-शा0 दिनांक 07.01.22 के अनुसार निर्गत है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**Arun Kumar**

63F826DE50AA10615D7E0C8F7CC174FE0F456B9D

04-07-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : **04-07-2025**

स्थान : **DEORIA**

*Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.*